

बिन्दु-5

नियम, अधिनियम, निर्देश तथा उक्त हेतु विभाग मे उपलब्ध मैनुअल और अभिलेख

सहकारिता विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले समस्त क्रिया-कलाप उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम-1965 एवं उसकं अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी सहकारी नियमावली 1968 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित किया जाता है। इसके साथ समय-समय पर आयुक्त एवं निबन्धक द्वारा परिपत्रों एवं शासन द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार कार्य सम्पादित किया जाता है।